

राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक प. 20(6)(376)/निमअ/लेखा/LFAD आडिट समिति/2017-18/  
94663-667

दिनांक 21/8/18

सहायक निदेशक,  
महिला अधिकारिता विभाग,  
जयपुर, सीकर, झुझुनूं, दौसा एवं अलवर।


विषय:- सम्भागीय प्रशासनिक समिति जयपुर की वर्ष 2018-19 की प्रथम बैठक दिनांक  
29.08.2018 सांय 04.00 बजे आयोजित करने बाबत।

प्रसंग:- सदस्य सचिव, सम्भागीय प्रशासनिक समिति स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज.  
जयपुर का पत्रांक 4500-12 दिनांक 31.08.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की वित्तीय वर्ष  
2018-19 की सम्भागीय प्रशासनिक समिति की प्रथम बैठक संभागीय आयुक्त जयपुर की अध्यक्षता में  
दिनांक 29.08.2018 को उनके कक्ष में सांय 4.00 बजे रखी गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त बैठक में आवश्यक तैयारी के साथ  
अपना उपस्थिति सुनिश्चित करें।

सलग्न- उपरोक्तानुसार

  
आयुक्त

महिला अधिकारिता विभाग  
राजस्थान, जयपुर

94668-674

क्रमांक प. 20(6)(376)/निमअ/लेखा/LFAD आडिट समिति/2017-18/  
प्रतिलेपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 21/8/18

1. जिला कलेक्टर, जयपुर, सीकर, झुझुनूं, दौसा एवं अलवर।
2. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज. जयपुर।
3. सदस्य सचिव, सम्भागीय प्रशासनिक समिति स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज. जयपुर।

4. सम्भागीय लेख लॉगिस्ट पर अपलोड करने हेतु।



वित्तीय सलाहकार  
महिला अधिकारिता विभाग  
राजस्थान, जयपुर



website: ifad.raj.nic.in

Tel. 0141-2740223

E-mail: ifad-jpr1-rj@nic.in

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय,  
जयपुर-प्रथम, वित्त भवन, ए, ब्लॉक, ज्योति नगर, जयपुर

क्रमांक:- F. 10(12)(6)/स्था.नि.अंके/जय-I /स.प्रशा.स.ज./2018-19 /4500-12 दिनांक:- 31/8/18

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर
3. जिला कलेक्टर जयपुर/सीकर/झुंझुनू/दौसा/अलवर
4. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
5. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज. जयपुर
7. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वितीय।

विषय:- सम्भागीय प्रशासनिक समिति जयपुर की वर्ष 2018-19 की प्रथम बैठक दिनांक 29.08.2018 को सायं: 4.00 बजे आयोजित करने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार विभाग-3) की आज्ञा क्रमांक प 6 (7) प्र.सु/अनु.3/2000 दिनांक 10 मार्च 2000 एवं समसंख्या आज्ञा दिनांक 5 फरवरी 2002 की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2018-19 की संभागीय प्रशासनिक समिति की प्रथम बैठक संभागीय आयुक्त जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 29.08.2018 को सायं 4.00 बजे आयोजित की गई है। बैठक में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर प्रथम एवं जयपुर द्वितीय के अंकेक्षणाधीन जिला जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर की स्वायत्तशासी संस्था जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवासन मंडल एवं महिला अधिकारिता विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदनो में उल्लेखित अनुच्छेदों की अनुपालना एवं निस्तारण की समीक्षा, अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंषा, जिला स्तरीय समिति की बैठको में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के साथ-साथ 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के प्रारूप प्रालेखो एवं गबन प्रकरणों पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया जायेगा।

बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले एजेण्डा नोट की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 10.03.2000 एवं समसंख्या आज्ञा दिनांक 5 फरवरी 2002 में अंकित संभागीय प्रशासनिक समिति के लिए सदस्य/मनोनीत अधिकारी ही बैठक में भाग लेने हेतु अधिकृत होंगे।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मोहन लाल आचार्य)

सदस्य सचिव,

सम्भागीय प्रशासनिक समिति एवम  
अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,  
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर - प्रथम।

जयपुर-संभागीय के सं. नि. की  
मी. 2018 में भाग लेने के निदेश  
दिए जाने का पत्र प्रस्तुत करावे।

AAO(H)

S A

9/8

16-8

संभागीय प्रशासनिक समिति की वर्ष 2018-19 की प्रथम बैठक

दिनांक 29.8.18 सांय: 4.00 बजे

स्थान:- संभागीय आयुक्त कार्यालय जयपुर

-कार्यसूची-

बिन्दु संख्या :- 1. जिला स्तरीय समितियों की बैठकों के कार्यवाही विवरण (Minutes) की समीक्षा।

बिन्दु संख्या :- 2. 'अ' व 'ब' श्रेणी प्रारूप प्रालेखों की समीक्षा।

बिन्दु संख्या :- 3. गबन प्रकरणों की समीक्षा।

बिन्दु संख्या :- 4. बकाया सामान्य आक्षेपों एवं उनके निस्तारण की स्थिति की समीक्षा।

बिन्दु संख्या :- 5. बकाया अंकेक्षण शुल्क की समीक्षा।